न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 144/2017

दायर दिनांक 03.08.2017

मोहसिन पुत्र युसुफ जाति मुसलमान धोबी निवासी राधाकिशनपुरा सीकर तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

वादी

बनाम

1. नानची देवी पत्नी मूलचन्द जाति माली निवासी पूजारी की ढाणी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
2. छीतरमल पुत्र धन्नाराम जाति माली निवासी बागोरियों की ढाणी तन चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
3. रामलाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति माली निवासी बागोरियों की ढाणी तन चिराना तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
4. भूमि धारक जरिये तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

प्रतिवादीगण

वकील वादी :– श्री चन्द्रकांत शर्मा
वकील प्रति॰ :– श्री आनन्दीलाल सैनी

दावा– बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज॰काश्त॰अधि॰
प्रार्थना पत्रः ऐतराज विभाजन प्रस्ताव पुनः मंगवाने
निर्णय

निर्णय दिनांक : 26–05–2022

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया है, जो विधि विरूद्ध व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना के अनुसार तैयार नही किया गया है। इस कारण विभाजन प्रस्ताव खारिज होने योग्य है, क्योंकि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं को तैयार कर पेश करना आवश्यक है, उक्त विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नवलगढ द्वारा तैयार नही किया गया है। जैसाकि अपील डिक्री टी.ए./6595/2015 अलवर निर्णय दिनांक 19.05.2016 डी.बी. व अपील डिक्री टी.ए. 2535/04 दौसा निर्णय दिनांक 01.03.2016 डी.बी. में कहां गया है कि विभाजन प्रस्ताव कुरेजात तहसीलदार खुद की रिपोर्ट तैयार किये जाने की अधिकारिता है। वह इस कार्य को अन्य अधिकारी कर्मचारी को डेलीगेट नही कर सकता। सन् 20.11.2012 सप्लीमेंन्टरी आर.आर.टी. पेज 698 में भी राजस्व मण्डल की खण्ड पीठ ने यह निर्णय पारित यिा है कि विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा तैयार किया जाना आज्ञापक है, जो इस प्रकरण में नही किया गया है। पटवारी व गिरदावर हल्का किया गया विभाजन प्रस्ताव विधि विरूद्ध होने से निरस्त कर दुबारा विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे।

विभाजन प्रस्ताव में ना तो मौके पर काश्त व काबिज व नपती के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार नही किया गया है बल्कि कार्यालय में बैठकर गलत रूप से विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है, जो खारिज होने योग्य है। विभाजन प्रस्ताव में मौके पर जाकर ना तो नपती की गई है, ना मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार की गई है, ना ही मौके के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है, इसलिए विभाजन प्रस्ताव निरस्त कर दुबारा विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे।

विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय दोनो पक्षों की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना आवश्यक है। इस विभाजन प्रस्ताव में ना तो दोनो पक्षों को सूचित किया गया और ना ही दोनो पक्षों के समक्ष विभाजन प्रस्ताव तैयार हुआ है और ना ही दोने पक्षो के हस्ताक्षर है, इसलिए विभाजन प्रस्ताव निरस्त किया जावे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विभाजन प्रस्ताव निरस्त कर दुबारा मौके की स्थिति के अनुसार दुबारा विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:25:30 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ

वकील अप्रार्थी (प्रतिवादीगण) ने प्रार्थना पत्र ऐतराज/पुनः मंगवाये जाने विभाजन प्रस्ताव का जवाब नही पेश कर सीधे ही बहस करना जाहिर किया। बहस प्रार्थना पत्र ऐतराज विभाजन प्रस्ताव वकील उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी (वादीगण) दौराने बहस कथन किया कि प्रकरण में कोई भी पक्षकार न्यायालय में कोई प्रार्थना पत्र पेश करने पर प्रतिवादी को जवाब व खण्डन करने करना चाहिए। प्रतिवादी अधिवक्ता ने लिखित में प्रार्थना पत्र का खण्डन नही किया है। दावा डिक्री होने में विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया जाता है जिसमें प्रक्रिया नियम 18 लगायत 21 के प्रोविजन लागू होते है। उक्त नियम में आवश्यक यह है कि तहसीलदार स्वयं को मोके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव करना होता है। आर.आर.डी. 2017 पृष्ठ संख्या 473 उनवान मोहनलाल नेहरा, कैलाश मीणा बनाम रमेश एवं अन्य आदि की नजीर पेश की गई। तहसीलदार द्वारा प्रस्ताव आज्ञापक है। विभाजन प्रस्ताव के लिए किसी को डेलीगेट नही कर सकते है। तहसीलदार स्वयं द्वारा यदि विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया हो तो शपथ पत्र पेश करे। विभाजन प्रस्ताव में एक मात्र हस्ताक्षर होना प्रर्याप्त नही है। पक्षकार सहमत हो जरूरी नही । विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व वादी व प्रतिवादीगण को नोटिस जारी करने होते है जो नोटिस जारी कर कोई सूचना नही दी गई। विभाजन प्रस्ताव तैयार किया तो वादी मौके पर उपस्थित नही थे। विभाजन प्रस्ताव नियमो के विरूद्ध बनाया गया है जो नियमो के अनुसार करवाया जाना न्यायोचित है। वादी को कोई भी सूचना नही दी गई। विभाजन प्रस्ताव में नियम 18 लगायत 21 की पालना नही कर बल्कि नियमों का उल्लंघन हुआ है। विभाजन प्रस्ताव मोके के अनुसार नही बनाया गया है विपरीत कब्जे अनुसार बनाया गया। वाद बाहुलता रोकना न्यायालय की भी ड्यूटी है। विभाजन प्रस्ताव में एक को पीछे एवं एक को सडक पर सबको रकबे के अनुसार खातेदारी दी जावे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ऐतराज विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जावे तथा मोके अनुसार विभाजन बनाया जावे।

जवाब बहस में वकील अप्रार्थी प्रतिवादीगण ने बहस का विरोध प्रकट करते हुये कथन किया कि दावे में प्राथमिक निर्णय में वादी द्वारा स्वीकार किया है कि मौके के अनुसार बनाया जावे। उक्त दावा सहमति से डिक्री से हुआ। सहमति होने कारण ऐतराज नही किया जा सकता। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15.12.2021 को तैयार किया गया है जिसमे सभी के हस्ताक्षर अंकित है। वादी ने अपना अधिवक्ता को बदल लिया है। वकील वादी ने बहस का विरोध करते हुये जवाब में कथन किया कि वाद में सहमति अनुसार प्राथमिक निर्णय किया गया है। विभाजन प्रस्ताव कब्जा अनुसार सहमति ऐतराज में भूमि कहां दी इसका कोई उल्लेख नही है, केवल नियम 18 लगायत 21 की पालना नही की गई लिखा है। कोई भी विभाजन प्रस्ताव पर एतराज लगा देगा। दिनांक 15.12.2021 राजस्व अधिकारी द्वारा बनाया गया है विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी है। विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपति नही की हिस्से पर विपरीत प्रभाव की कोई अंकित नही किया गया है। यदि वादी का कब्जा है तो न्यायालय में साबित करना चाहिए था। कब्जे के विपरीत ये जा सकतें उसी के आधार पर विभाजन प्रस्ताव बनाया गया है। विभाजन प्रस्ताव मौके पर सूचना दी जाकर तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव में प्रतिवादी ने सहमति दी थी। बहस में फोटोग्राफ पेश करे। मोके पर पक्षकारों के कब्जे है, कब्जे अनुसार ही विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। सभी पक्षकारों को सूचना दी गई है वादी ने कहा कि मैं सीकर रहता हू मुझे विभाजन प्रस्ताव नही करवाना। वादी विभाजन प्रस्ताव के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अपील अधिकारी के यहां अपील में गये वहां भी प्रकरण सहमति के आधार पर निर्णित होने से तथा प्रकरण में पक्षकारान में सहमति होने से अपील खारिज की जा चुकी है। वादी ने जब विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15.12.2021 को आया तो उसी वक्त ऐतराज लगाना चाहिए था। ऐतराज अपील खारिज होने के पश्चात लगाया गया है विभाजन प्रस्ताव कब्जे के विपरित है ऐसा प्रार्थना पत्र में एक भी शब्द नही आया है। वादी ने ऐजराज प्रार्थना पत्र केवल विभाजन को रोकने के मंशा से पेश किया गया। जैसा जमाबंदी है वैसे ही हिस्से मिले है। किसी के हितों पर विपरीत प्रभाव नही पडा है। प्रार्थना पत्र बाबत ऐतराज केवल प्रताड़ित करने की मंशा से पेश किया गया है।

जवाब बहस में वकील वादी ने विरोध प्रकट किया कि वादी ने यदि अधिवक्ता बदल लिया तो प्रतिवादी को कोई दिक्कत नही होनी चाहिए। दावा वर्ष 2019 में डिक्री हुआ था जिस पर वर्ष 2021 सहमति दी गई है। प्रताड़ित नही किया जा रहा है।

पत्रावली का आद्योपान्त ध्यानपूर्वक अवलोकन किया बहस वकील उभय पक्ष का मनन किया गया। तथा पत्रावली में उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार शामलाती दर्ज है। वादीगण ने ऐतराज विभाजन प्रस्ताव में मुख्यतः उज्र उठाया है कि विभाजन प्रस्ताव मौके पर तहसीलदार स्वयं द्वारा तैयार नही किया गया तथा विभाजन प्रस्ताव नियम 18 लगायत 21 के अनुसार नही बनाया गया है। विभाजन प्रस्ताव तैयार के समय पक्षकारों को सुनवाई का

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:25:30 IST
Reason: Self Attested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

अवसर नही दिया जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो नियम विरूद्ध है, इस संबंध विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन से स्पष्ट होता हे कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करने पर सभी पक्षकारो को सूचना जारी कर ही तैयार किया गया है, तथा विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में तैयार किया हुआ है। पक्षकारान के कब्जा काश्त अुनसार ही विभाजन प्रस्ताव बनाया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा तैयार कर विभाजन पर पक्षकारान व गांव के मौतबिरान के हस्ताक्षर करवाये गये है। जहां तक न्यायालय का मत है वर्णित विभाजन प्रस्ताव राजस्व मण्डल के नियम 18 लगायत 21 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र मे तैयार किया गया तथा विभाजन प्रस्ताव समस्त पक्षकारो को सूचना प्रेषित कर तैयार किया हुआ है जिस पर पक्षकारों के हस्ताक्षर भी होना अंकित है विभाजन प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत ऐतराज विभाजन प्रस्ताव पोषणीय प्रतीत नही होती है। फलस्वरूप वादी की प्रार्थना पत्र ऐतराज विभाजन प्रस्ताव व आपति खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पालना रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./2021/777 दिनांक 05.10.2021 के द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम बागोरियों की ढ़ाणी के खसरा नम्बर 2046/301 रकबा 0.77 हैक्टर का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

1. ग्राम बागोरियों की ढाणी की भूमि खसरा नम्बर 2046/301/1 रकबा 0.3800 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय का मोहसिन पुत्र युसुफ जाति मुसलमान (धोबी) साकिन राधाकिशनपुरा सीकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. ग्राम बागोरियों की ढाणी की भूमि खसरा नम्बर 2046/301/4 रकबा 0.1700 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय का नानची देवी पत्नी मूलचंद हिस्सा 6/17 जाति माली साकिन पुजारी की ढाणी खातेदार, मुलचन्द पुत्र छोटूराम हिस्सा 11/17 साकिन उदयपुरवाटी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. ग्राम बागोरियों की ढाणी की भूमि खसरा नम्बर 2046/301/2 रकबा 0.1100 हैक्टर किस्म तृतीय का राजकिशोर पुत्र हरदेवाराम जाति माली साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. ग्राम बागोरियों की ढाणी की भूमि खसरा नम्बर 2046/301/3 रकबा 0.1100 किस्म बारानी तृतीय का रामलाल सैनी पुत्र रामेश्वरलाल सैनी जाति माली हिस्सा सम्पूर्ण जाति माली निवासी साकिन देह खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नही है तो पक्षकारान् अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26–05–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:25:30 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ, व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तिम डिक्री

मुकदमा सं0:– 144/2017 **(मोहसिंन आदि – बनाम – नानची वगैरह)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कंवर (आर. ए. एस.)**,सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक **26.05.2022** निर्णय अनुसार राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम बागोरियों की ढ़ाणी के खसरा नम्बर 2046/301 रकबा 0.77 हैक्टर का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

1. ग्राम बागोरियों की ढाणी की भूमि खसरा नम्बर 2046/301/1 रकबा 0.3800 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय का मोहसिन पुत्र युसुफ जाति मुसलमान (धोबी) साकिन राधाकिशनपुरा सीकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. ग्राम बागोरियों की ढाणी की भूमि खसरा नम्बर 2046/301/4 रकबा 0.1700 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय का नानची देवी पत्नी मूलचंद हिस्सा 6/17 जाति माली साकिन पुजारी की ढाणी खातेदार, मुलचन्द पुत्र छोटूराम हिस्सा 11/17 साकिन उदयपुरवाटी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. ग्राम बागोरियों की ढाणी की भूमि खसरा नम्बर 2046/301/2 रकबा 0.1100 हैक्टर किस्म तृतीय का राजकिशोर पुत्र हरदेवाराम जाति माली साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. ग्राम बागोरियों की ढाणी की भूमि खसरा नम्बर 2046/301/3 रकबा 0.1100 किस्म बारानी तृतीय का रामलाल सैनी पुत्र रामेश्वरलाल सैनी जाति माली हिस्सा सम्पूर्ण जाति माली निवासी साकिन देह खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

जन...........–............... मुबलिग...........–............बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह......–............फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे। बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 26–05–2022 को जारी की गई।

दमयंती कंवर (R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:25:30 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय तहसीलदार (भू. अ.) नवलगढ़ 17

क्र/भू.अ./2452 दिनांक 28/12/21

श्रीमान सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) नवलगढ़

विषय :- न्यायालय प्रकरण सं० 144/2017 उनवान मोहसिन बनाम नानची आदि मे विभाजन प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मु० नं० 144/2017 उनवान मोहसिन बनाम नानची मे निर्णय दिनांक 06.10.2021 की पालना मे ग्राम बागोरिया की ढाणी के ख.नं. 2046/301 रकबा 0.77 हैक्टर का रिकार्ड व मौके अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर सेवामें सादर प्रेषित है।

संलग्न - मूल विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस

[signature]

तहसीलदार (भू. अ.)
नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:25:30 IST
Reason: SelfAttested

(13)

L.R.
16/12/2021

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार साहब
नवलगढ़

विषय :- न्यायालय प्रकरण संख्या 144/2017 उनवान मोहसिन बनाम नानची आदि में विभाजन प्रस्ताव भिजवाने के संबंध में।

प्रसंग :- कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) नवलगढ़ क्रमांक [भू.अ.] 236 दि. 10.12.21
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) नवलगढ़ क्रमांक /राजस्व/2021/226 दिनांक 8/12/21

महोदय जी

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मु.न. 144/2017 (मोहसीन बनाम नानची आदि) में निर्णय दिनांक 06/10/2021 की पालना में ग्राम बख्तावरपुरा की ढाणी के ख.न. $\frac{2046}{301}$ रकबा 0.77 हैक्टर का रिकार्ड एवम् मौके अनुसार विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार है।

क्र.स.	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	मोहसिन पुत्र युसुफ जाति मुसलमान (धोबी) सा. राधाकिशनपुरा सीर खातेदार	$\frac{2046}{301}$/1	0.3800	बारानी3	0.59
2.	नानची देवी पत्नि मूलचंद हि. $\frac{6}{17}$ जाति माली सा. पुजारी की ढाणी खातेदार मूलचन्द पुत्र छोटूराम हि. 11/17 सा. उदयपुरवाटी खातेदार	$\frac{2046}{301}$/4	0.1700	बारानी3	0
3.	राजकिशोर पुत्र हरदेवाराम जाति माली सा. देह खातेदार	$\frac{2046}{301}$/2	0.1100	बारानी3	
4.	रामलाल सैनी पुत्र रामेश्वरलाल सैनी हिस्सा सम्पूर्ण जाति माली सा. देह खातेदार	$\frac{2046}{301}$/3	0.1100	बारानी3	

जमाबन्दी रिकार्ड अनुसार शुद्धी पत्र 46 नि.दि. 15/12/2020 से छूप प्रतिवादी नम्बर1 (नानची देवी का हि. 0.06 है. तथा मूलचन्द पुत्र छोटूराम का हि. 0.11 है. की नवीन प्रविष्टी दर्ज हुई है तथा ना.स. 2054 नि.दि. 16/10/2021 [illegible] नम्बर2 छीतरमल पुत्र धन्नाराम हि. $\frac{1}{7}$ के स्थान पर राजकिशोर पुत्र हरदेवा[illegible] जाति माली की नवीन प्रविष्टी खातेदारी जमाबन्दी में दर्ज रिकार्ड है। [illegible] न्यायालय में प्राथमिक निर्णय अनुसा[illegible] अनुसार माननीय [illegible] तैयार कर श्रीमान जी की सेवा में पेश है।

जयप्रकाश
पटवारी

15-12-2021

राम लाल

मूलचन्द सैनी

राजकिशोर

तहसीलदार (भू.अ.)
नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:25:30 IST
Reason: SelfAttested

नकल - नक्शा

ग्राम - आगोरियों की ढाणी

प.ह. - चिराना

तह० - नवलगढ़

19
14

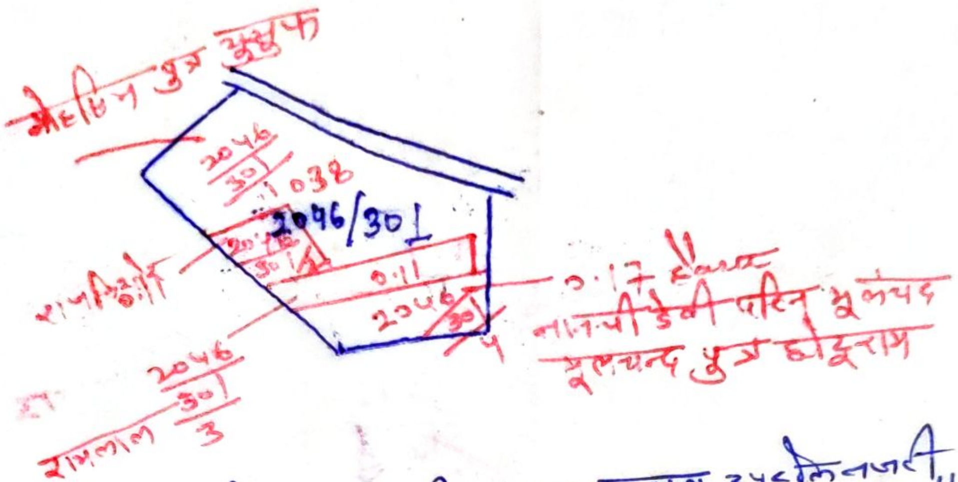

मौके अनुसार विभाजन प्रस्ताव उपलब्ध नहीं
नक्शे अनुसार विभाजन प्रस्ताव में काश्तकारों
मौके पर वादीगण उपस्थित नहीं मिला। प्रतिवादीगण ने हस्ताक्षर करवाये गये

राम लाल

राजकिशोर

मूलचन्द सैनी

15/12/2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:25:30 IST
Reason: SelfAttested